न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 45/2022 G.C.M.S. No. 2022/401 दर्ज दिनांक : 23.12.2022

अपीलार्थी:

1. तीजो देवी पत्नी शंकरलाल, जाति माली, निवासी भीनमाल, तहसील भीनमाल, जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. रमेश कुमार पुत्र सवाजी, जाति माली, निवासी भीनमाल, तहसील भीनमाल, जिला जालोर
2. नगर पालिका भीनमाल जरिए अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भीनमाल
3. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार भीनमाल

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 26/2019 बअनवान रमेश कुमार बनाम तीजो देवी में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 22.11.2022

पैरोकार–

1. श्री ईशरार खान, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री तारीफ अली, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 27.02.2026

अपीलान्ट्स की ओर से जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 26/2019 बअनवान रमेश कुमार बनाम तीजो देवी में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 22.11.2022 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा एक वाद सरहद मौजा भीनमाल ए के खसरा नम्बर–2060/7244 रकबा 0.26 हैक्टर में बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा दिनांक–05.09.2019 को सहायक कलेक्टर भीनमाल के न्यायालय में पेश किया था जिसमें अपीलांट द्वारा जब उक्त वाद के संबंध में जानकारी होने पर प्रतिवादीया अपीलांट ने दिनांक 16.01.2020 को आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उसके उपरांत अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा समय पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद का जवाब न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया। जिस पर न्यायालय द्वारा जवाब बन्द कर दिया गया एंव विभाजन प्रस्ताव हेतु दिनांक 23.12.2020 को प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। जिसमें अपीलांट के गैर मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार की गयी। जो रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अनुसार अपने कार्यालय में बैठकर बनायी गयी। जो रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के कहेअनुसार अपने कार्यालय में बैठकर बनायी गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट से जवाब तलब किये प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.12.2020 जारी किया गया है।। प्राथमिक डिक्री जारी करने

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

से पूर्व अपीलांट की बिना मौजूदगी की मौका रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में सपुर्द की गयी। जिसके आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की गयी है। तहसीलदार द्वारा अपने पक्षकार यानि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को फायदा पहुंचाने की गरज से साठगाठ कर अपीलांट के रहवासीय मकान में हिस्सा करते हुए बंटवाड़ा किया गया । लिहाजा अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत वाद में जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.01.2020 को खारिज फरमाकर अपीलान्ट के हक में उक्त वाद में अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर साक्ष्य सबूत पेश करने एवं वाद के विचारण करने का अवसर प्रदान करावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर उस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा भीनमाल ए के खसरा नम्बर 2060 रकबा 0.26 हैक्टेयर के सम्बध में विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 01/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किए जाने पर जवाब बंद किया गया। दिनांक 23.12.2020 को प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए माफिक राजस्व रेकर्ड पक्षकारान के बीच मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के लिए तहसीलदार भीनमाल को आदेश दिये गए।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार भीनमाल द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदारान को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक 1228–1231 दिनांक 05.07.2022 के द्वारा जारी किया गए। तहसीलदार भीनमाल द्वारा तैयार व न्यायालय को प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा मुताबिक प्राथमिक डिक्री व मुताबिक भू–अभिलेख हक हिस्सा के वादग्रस्त आराजी के रकबा, लगान आदि का विभाजन किया गया तथा संबंधित तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की अक्षरशः पालना की गई हैं।
3. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत कृषि जोतों के विभाजन के प्रावधान उल्लेखित है। इन प्रावधानों की पालना राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 के तहत की जानी आवश्यक है। इसमें भी स्पष्टतः सक्षम न्यायालय द्वारा वाद में दी गई डिक्री द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

जोत का विभाजन नियम 20 व 21 के तहत किये जाने के प्रावधान है। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 में विभाजन के सम्बन्ध में जो प्रावधान दिये गये है, उनके सन्दर्भ में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर ऐसा कोई ठोस कारण दर्शित नही होता, जिसके आधार पर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अनुचित ठहराया जा सके। लिहाजा अपीलाण्ट की अपील सारहीन पाई जाती है।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित करने में असफल रहा है, तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने व विधिविरूद्धता नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 26/2019 बअनवान रमेश कुमार बनाम तीजो देवी में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 22.11.2022 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **27.02.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner